सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1505/RJ/7/2023-ESDW **दिनांक: 03.04.2023**

श्री अंकित कुमार सिंह,
जिला कलेक्टर,
जिला-करौली,
कलेक्टर कार्यालय,
जिला- करौली, राजस्थान - 322241
ई-मेल: dm-kar-rj@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर हो रहे आर्थिक, सामाजिक शोषण को रोकने एवं खसरा सं. 115/1 के अंतर्गत खरीदी गई भूमि की रजिस्ट्री करवाने के संबंध में श्री मुकेश मीना व अन्य, गाँव किराड़ी, पोस्ट-हाड़ोती, तहसील सपोटरा, जिला करौली, राजस्थान का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री मुकेश मीना व अन्य से** एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

4520-21
3/4/23
जारी किया
ISSUED

(हस्ताक्षर)
(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

O/C

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री मुकेश मीना,
गाँव किराड़ी, पोस्ट-हाड़ोती,
तहसील सपोटरा, जिला करौली,
राजस्थान